कृषि और किसान के समक्ष चुनौती – विभिन्न पहलू

कृषि और किसान के समक्ष चुनौती - विभिन्न पहलू

(सन्दर्भ - मध्यप्रदेश में खेती)

चर्चा के लिए पर्चा[1]

- मध्यप्रदेश में दिसंबर 2015 की स्थिति में बैंकों के द्वारा दिया गया किसान कर्जा 60977 करोड़ था, यह दिसंबर 2016 की स्थिति में मध्यप्रदेश में कृषि के लिए कुल सावधि और फसल कर्ज 81228 करोड़ रूपए हो गया. इसमें से फसल के लिए ऋण 56047 करोड़ रूपए था.
- क़र्ज़ लेने वाले किसानों पर औसतन 1.05 लाख रूपए का क़र्ज़ है.
- मध्यप्रदेश में बैंकों द्वारा जारी कुल अग्रिम/ऋण में से खेती के लिए अग्रिम/ऋण का हिस्सा 36.60 प्रतिशत है; किन्तु छोटे और मझौले किसानों को कुल ऋण में से केवल 11.33 प्रतिशत हिस्सा ही दिया गया.
- मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से 2012 के बीच में 9.41 लाख भैंसें कम हो गयी. राज्य में कुल पशुधन में 23.13 लाख की कमी आई.
- मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 से 2016 के बीच 9 साल सूखे के साल रहे.
- राज्य में फल का उत्पादन दो गुना, सब्जी का उत्पादन 4 गुना और मसालों का उत्पादन 11 गुना बढ़ गया.
- खुले बाज़ार में दलहन न्यूनतम समर्थन मूल्य की तय राशि से 35 प्रतिशत कम में खरीदे जा रहे हैं.
- यहाँ सकल राज्य घरेलु उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 29 प्रतिशत हो गया है.
- वर्ष 2001 से 2015 के बीच 19768 किसानों ने आत्महत्या कर ली.

---

[1] **विकास संवाद, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार / vikassamvad@gmail.com**

- राज्य में प्याज और टमाटर की थोक कीमत 1 से 2 रूपए पर आ गयी है. जबकि फुटकर में कीमत आठ से दस रूपए है.
- केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री एस एस अहलुवालिया ने 18 नवंबर 2016 को राज्य सभा में बताया कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्यप्रदेश में 15.9 लाख किसानों ने खेती छोड़ दी पर 47.9 लाख कृषि मजदूर बढ़ गए. इन दस सालों में खेती पर निर्भर लोगों की संख्या में 35 लाख की वृद्धि हुई.
- भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मिलना सुनिश्चित करना; किन्तु वर्ष 2014 में सरकार बनते ही प्रधानमन्त्री ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के बजट से किसानों को दिए जाने वाले बोनस को जबरिया बंद करवा दिया था.
- मध्यप्रदेश के 12 हज़ार किसानों को प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना का लाभ स्टेट बैंक आफ इंडिया ने इसलिए नहीं दिया, क्योंकि उनके बीमा किश्त प्रेषित (रेमिट) नहीं हो पायी थी; बहरहाल यह तथ्य है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत 7 प्रतिशत ब्याज पर क़र्ज़ देने वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल बीमा लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही वे किसानों को परिसंपत्ति, दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा भी "दिला" ही रहे हैं, जिसका प्रीमियम किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये होता है.
- मध्यप्रदेश सरकार ने विज्ञापन जारी करके स्वीकार किया कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में (शहरीकरण को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट को मदद करने के सन्दर्भ में) किसान विरोधी प्रावधान हैं.
- यह एक बुनियादी तथ्य है कि 1960 के दशक की हरित क्रान्ति के जरिये राज्य व्यवस्था ने यह तय करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया कि किसान क्या करेगा? क्या बोएगा? कितना बोएगा? कहाँ बोएगा? और वह खेती किस पद्धति से करेगा? उसके अधिकार का मुख्य मंतव्य कृषि का एकाधिकार आधारित औद्योगिकीकरण करना रहा.
- खेती ही एकमात्र एक ऐसा उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ अपने उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार उत्पादक यानी किसान को नहीं है और जहाँ उचित मूल्य का नहीं न्यूनतम मूल्य का निर्धारण होता है.

मध्यप्रदेश में 1 जून 2017 से किसान आन्दोलन शुरू हुआ और अगले हफ्ते भर में इसने जो रूप लिया, वह हम सबके सामने है. क्या वास्तव में खेती और किसान के मुद्दे इतने ही गंभीर हैं, जितना यह आन्दोलन जता रहा है! हाल के सालों में 20 दिसंबर 2010 को अचानक ही शिवकुमार शर्मा के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ के बैनर तले कुछ हज़ार किसानों ने भोपाल को लगभग बंधक बना लिया थ. तब सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने के कारण भारतीय किसान संघ ने सरकार से समझौता कर लिया था और आन्दोलन बिना ठोस परिणाम से विराम

पा गया. इससे उनकी कारपोरेट समर्थित राजनीति को झटका लगा था क्योंकि उन्ही के सखा संगठन से सरकार के किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया था. ऐसा आन्दोलन करने की सजा शिवकुमार शर्मा को मिली और उन्हें संगठन से बेदखल कर दिया गया.

इस मुद्दे पर हमें चर्चा करना, इस पर बहस और चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने यह बताया है कि वर्ष 2005 में राज्य में कृषि की विकास दर 3.13 प्रतिशत थी. वर्ष 2007 में इसमें गिरावट हुई और यह घट कर (-)2.44 प्रतिशत पर आ गयी. 2010 में यह ऋणात्मक ही थी. साल 2011 में इसमें चमत्कारिक भीमकाय बढौतरी हुई. उस साल अचानक से कृषि विकास दर 18.9 प्रतिशत दर्ज होना बताया गया. फिर यह विकास दर वर्ष 2012 में 18.05 प्रतिशत (131 मिलीमीटर कम बारिश), वर्ष 2013 में 22.41 प्रतिशत, वर्ष 2014 में 398 मिलीमीटर कम बारिश के बावजूद 18.83 प्रतिशत दर्ज की गयी. वर्ष 2015 के बारे में भी यही अनुमान दिया गया है कि इस साल कृषि विकास दर ऊँची ही आसपास रहेगी, जबकि इस साल सूखा और बाढ़ दोनों का ही प्रकोप था. मध्यप्रदेश की 65 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर करती है. अब यदि बारिश नहीं हो रही है और जो बारिश हो भी रही है उसमें बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, तो उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी पर सहज विश्वास होना कठिन है.

मध्यप्रदेश में औसत वार्षिक बारिश 1132 मिलीमीटर होती है. वर्ष 2001 से 2015 की अवधि में राज्य में 12 साल औसत से कम बारिश हुई है. इनमें से 7 साल तो ऐसे रहे हैं, जब औसत से 265.4 मिलीमीटर से लेकर 398.6 मिलीमीटर कम बारिश दर्ज हुई. यानी इन सालों में सूखे की स्थिति रही. हम जानते हैं कि एक साल का सूखा केवल उसी साल किसान को प्रभावित नहीं करता है, अगले साल भी वह किसान को बाँध कर रखता है. अतः सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उनके लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था करती; ऐसा नहीं हुआ, फसल बीमा के जाल में उलझा कर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया.

वर्ष 2016 का कृषि आर्थिक सर्वेक्षण (मध्यप्रदेश सरकार) में जिलावार केस अध्ययनों में भी उल्लेख है कि किसान सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से सहमत नहीं हैं. उन्हें बैंकों से मिले कृषि ऋण के लिए 7 से 16 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ रहा है. छोटे और मझौले किसान तो सरकारी उपायों के दायरे में आ ही नहीं पा रहे हैं.

आर्थिक लेन देन के डिजिटलाइजेशन ने किसानों की हालत खराब कर दी. एक तरफ को उन्हें अपनी उपज की पूरी लागत ही नहीं मिल पा रही थी, उस पर नोट्बंदी के बाद उनके भुगतान होने ही बन्द हो गए. गुना जिले की मंडी में हर आड़तिये को रोजाना 50 से 60 किसानों को भुगतान करना था, यहाँ 20 आड़तिये लगभग 1000 किसानों के भुगतान के लिए बैंक फ़ार्म जमा कर रहे थे. बैंकों ने इतने भुगतान निवेदन स्वीकार नहीं किये और किसानों को उनका पैसा हासिल करने में बड़ी समस्याएं आने लगीं. अंततः जून के पहले हफ्ते में मंडी ही बन्द कर दी गयी.

कलालखोदरा (भीकनगाँव) के आदिवासी किसान खुमसिंह को शकरगाँव सहकारी समिति में अपना कृषि ऋण चुकाना था, इसलिए उन्होंने 27 मार्च 2017 को 850 किलो तुअर बेंची थी. उसका 75 दिन गुजार जाने के बाद तक नहीं किया गया. आखिर में उससे कहा गया कि वह 3500 रूपए के भाव से 30 हज़ार रूपए नकद ले ले; जबकि समर्थन मूल्य 5050 रूपए तय है. 90 फीसदी किसान इसी जाल में उलझे हुए हैं. खुम सिंह को ऋण भुगतान में देरी के लिए 17 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा.

एक तरफ ऐसी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी हैं और दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन है. मध्यप्रदेश सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके यह घोषणा कर दी कि किसानों को पूरी राशि बैंक ट्रांसफर के बजाये, 50 प्रतिशत राशि नकद मिलेगं . ऐसे में यह पता चला कि जिन मंडियों में 60 करोड़ रूपए का नकद भुगतान करना होगा, वहाँ की बैंकों में नकद मुद्रा की उपलब्धता ही महज़ 6 करोड़ रूपए की पायी गयं . इतना ही नहीं कोई यह जवाब देने के तैयार नहीं है कि जब आयकर क़ानून के मुताबिक 2 लाख रूपए से ज्यादा के नकद भुगतान को अपराध घोषित किया गया है, ऐसे में बिना वैधानिक प्रक्रिया के नकद भुगतान का निर्णय कैसे लिया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मध्यप्रदेश के 60 फीसदी सहकारी बैंक कंगाली की हालत में हैं, वे कैसे नकद भुगतान करेंगे? दूसरी तरफ रिज़र्व बैंक आफ इंडिया नकद की ज्यादा आपूर्ति भी नहीं कर रहा है. नकद लेन देन रोकने के लिए चूंकि राज्य सरकार पर केंद्र सरकार का गहरा दबाव है और केंद्र का खौफ इतना ज्यादा है कि दिल्ली को किसानों की समस्या बतायी ही नहीं गयी. परिणाम हमारे सामने है!

अब सोयाबीन की फसल के लिए लेन देन शुरू हो चुका है. आज की स्थिति यह है कि मंडियों में हो रहे सौदों में सोयाबीन की कीमत 2800 रूपए प्रति क्विंटल तय की गयी है. इस दर पर 2014 में भी सौदे हुए थे, 2015 और 2016 में भी. चूंकि सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता रहा है, इसलिए उसकी कीमतें गिर रही हैं परन्तु लागत और निवेश लगातार बढ़ रहा है.

क्या उत्पादन का बढ़ना कृषि विकास का अंतिम सूचक है?

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2006-07 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 144.52 लाख मैट्रिक टन था. जो वर्ष 2015 में बढ़ कर 321.48 लाख टन हो गया. यानी दस सालों में उत्पादन में 222 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इस वृद्धि के मान से बाज़ार की व्यवस्था और मूल्यों के निर्धारण की नीति तो कहीं दिखाई ही नहीं देती है. यह उल्लेख करना जरूरी है कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रूपए तय किया गया है. सरकार ने वर्ष 2013 और 2014 के मुकाबले दो तिहाई खरीदी भी नहीं की. इसके चलते किसानों को खुले बाज़ार 1250 से 1350 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं बेंचना पड़ा.

सरकार ने अपनी कृषि नीति में यह उल्लेख कभी नहीं किया कि वह किसान को सही कीमत दिलाने के लिए भूमिका निभाएगी. जरा इस जानकारी पर गौर कीजिये -

एक तरफ तो वर्ष 2009-10 में मध्यप्रदेश में 28.64 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ था, जिसमें दो गुना की वृद्धि हुई और वर्ष 2015 में यह बढ़ कर 58.02 लाख मीट्रिक टन हो गय . सब्जियां 34.42 लाख मीट्रिक टन से चार गुना बढ़कर 141.22 लाख मीट्रिक टन और मसाले 4.19 लाख मीट्रिक टन से 11 गुना बढ़कर 44.68 लाख मीट्रिक टन हो ग . इसके दूसरी तरफ खुले बाज़ार में फलों और सब्जियों की कीमतें बेहद कम हो गयीं.

इसी अवधि में राज्य में दूध का उत्पादन 71.67 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 108 लाख मीट्रिक टन हो गय . पशुपालकों के मुताबिक एक लीटर दूध के उत्पादन की लागत 37 रूपए पड़ रही है, पर उन्हें इसके लिए 35 से 37 रूपए ही मिल रहे हैं. उनकी मांग है कि दूध की कीमत 50 रूपए प्रति लीटर की जाना चाहिए.

सरकार ने अपना ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित किया, किसानों को उपज की सही कीमत दिलाने पर उनका कोई ध्यान नहीं रहा.

सरकार कृषि के मामले में कितनी संवेदनशील है, उसका जायजा इस तथ्य से भी लिया जा सकता है. इस साल के लिए सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5225 रूपए और तुअर का मूल्य 5050 रूपए तय किया है, किन्तु गुना जिले की मंडी में मूंग 3800 रूपए और तुअर 3500 से 3600 रूपए प्रति क्विंटल बेंची गयी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके फिर निद्रा में चली जाती है, वह खुद खरीदी नहीं करती और आड़तिये (ट्रेडर) संगठित होकर किसानों से कम कीमत पर दलहन खरीदते हैं. हाल के आंदोलन के बाद जब सरकार ने मंहगे विज्ञापन जारी करके घोषणा की कि सरकार मूंग, तुअर और प्याज खरीदेगी, तब तक उत्पादन बड़ी मात्रा में प्याज और मूंग कम दाम पर बेंच चुका था. अब आड़तिये (ट्रेडर) ही ज्यादातर माल सरकार को बेंचेंगे. यह तय है कि बहुत देरी से दबाव में उठाये गए इस कदम का लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा.

यह भी सवाल है कि तेज गति से बढ़ता हुआ उत्पादन क्या किसान को लाभ दे रहा है? मध्यप्रदेश में वर्ष 2015-16 में 13.27 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2016-17 में 22.25 लाख टन हुआ; यानी 67.67 प्रतिशत की वृद्धि. इसी तरह सोयाबीन 44.47 लाख टन से बढ़ कर 70.48 लाख टन और सभी तिलहन 50.22 लाख टन से बढ़कर 77.78 लाख टन हो गया. इसका परिणाम हुआ कि बाज़ार में उत्पादों के दाम गिरे. तुअर और मूंग के दाम आधे रह गए. किसान को उसकी उपज का जीने लायक भी दाम नहीं मिला. लाभ की बात तो छोड़ ही दें.

पिछले एक से खाद्य सुरक्षा के अधिकार और किसानों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की मांग रही है कि जिस तरह सरकार गेहूं और चावल की खरीदी करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये भण्डार का उपयोग करती है, उसी तरह दालों और खाद्य तेलों की भी खरीदी और वितरण होना चाहिए; लेकिन विश्व व्यापार संगठन के दबाव में भारत सरकार लोक हितों के लिए खाद्य सामग्री की खरीदी, भण्डारण और वितरण को कम से कम करना चाहती है. यही कारण है कि एम एस स्वामीनाथन समिति की न्यूनतम

समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुशंसाओं को नहीं माना जा रहा है. देश में बढ़ते उत्पादन को खुले बाज़ार के भरोसे छोड़ना समाज और किसान दोनों के लिए घातक है.

एक विरोधाभास सिंचाई और बिजली से जुड़ा हुआ है. मध्यप्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2006 में 65.43 लाख हेक्टेयर था, जो दस साल बाद वर्ष 2015 में बढ़ कर 103.01 लाख हेक्टेयर हो गया. बहरहाल बिजली की आपूर्ति रात के तीन बजे की जाती है. तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद स्याह है. थोड़ा यह जान लें कि वर्ष 2001 से 2015 के बीच मध्यप्रदेश में 19768 किसानों में आत्महत्या की है और यह क्रम लगातार जारी है. इसमें पिछले चार सालों में उन 768 किसानों की मृत्यु की संख्या शामिल नहीं है, जो फसल बर्बाद होने पर अपने खेतों में गए और या तो आघात से वहीं दम तोड़ दिया या घर वापस आकार चिर निद्रा में लीन हो गए.

एक बड़ा विरोधभास खेती के रकबे में वृद्धि को लेकर भी है. वर्ष 2001 से 2015 के बीच मध्यप्रदेश में फसली रकबे में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है -

उत्पाद	2001	2015
अनाज	7678000 हे.	9909000 हे.
दलहन	4170000 हे.	5238000 हे.
तिलहन	5584000 हे.	6984000 हे.
वाणिज्यिक फसलें	583000 हे.	747000 हे.
उद्यानिकी फसलें	268000 हे.	1549000 हे.
कुल फसली क्षेत्रफल	**9147000 हे.**	**24047000 हे.**

पर इसी अवधि के दस सालों में मध्यप्रदेश में जोतों का आकार 2.2 हेक्टेयर से कम होकर 1.78 हेक्टेयर हो गया.

इन्ही सालों में मध्यप्रदेश में काश्तकारों (किसानों) की संख्या 110.38 लाख से घट कर 98.44 लाख पर आ गई. यानी 11.94 लाख काश्तकार कम हो गए. इसे विकास मत मानिए, क्योंकि काश्तकार खेतिहर मजदूर में बदल दिए गए हैं. इन दस सालों में मध्यप्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 74.01 लाख से बढ़ कर 121.92 लाख हो गयी. क्या सरकार का वायदा यही था कि लोगों को मजदूर बनाया जाएग . वस्तुतः मध्यप्रदेश में मजदूरों की संख्या में 47.91 लाख की बढ़ोतरी हुई.

किसान की आय

नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट (एनएसएसओ क्रमांक 576/अप्रैल 2016 में जारी) के मुताबिक मध्यप्रदेश के 70.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार खेती पर निर्भर हैं. इन कृषि परिवारों की कुल आय औसतन 6210 रूपए मासिक थी, इसमें से खेती से आय का हिस्सा 4016 रूपए था. इस औसत तो जरा खोलकर देखने पर पता चलता है कि आदिवासियों और दलितों की स्थिति और ज्यादा बुरी है. आदिवासी किसान परिवार की कुल मासिक आय 4725 रूपए है, इसमें से 2002 रूपए खेती से अर्जित होते हैं. जबकि दलित किसानों की मासिक आय 4725 रूपए है, इसमें से 2607 रूपए खेती से हासिल होते हैं. बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग के खेती आधारित परिवार 7823 रूपए की आय हासिल करते हैं, जिसमें से 5534 रूपए का योगदान खेती करती है.

यह जरूरी नहीं कि हम अभी चल रहे किसान आंदोलन को सामाजिक वर्ग आधारित नज़रिए से ही देखें, लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि यह आंदोलन तुलनात्मक रूप से बड़े और ताकतवर किसानों के नेतृत्व का आन्दोलन है. अभी छोटे और मझौले किसान इसके केन्द्र में नहीं हैं. बहरहाल खेती के सवाल और संकट सभी किसानों के लिए मायने रखते हैं. अतः खेती के मसलों पर बात करना जरूरी है. जिन जिलों में किसान आंदोलन चल रहा है, वे जिले मध्यप्रदेश में गेहूं, सरसों, मक्का, सोयाबीन और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले जिले माने जाते हैं. इसका मतलब यह भी है कि नकद फसलों के विस्तार ने संकट को इतना बढ़ा दिया है कि आर्थिक विकास की खेती ने किसानों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा दिया है. मंदसौर सरसों की सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला जिला है. सोयाबीन उत्पादन में तीसरे क्रम का जिला है.

एनएसएस ओ (2012-13) की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में 98.44 लाख परिवार खेती पर निर्भर हैं और राज्य में औसतन एक परिवार पर 32100 रूपए का कृषि क़र्ज़ था, अब यह तीन गुना बढ़ चुका है.

राज्य में जमीन के रिकार्ड और उस पर कब्ज़े को लेकर भयावह विसंगतियाँ हैं. यह माना जा रहा है कि लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन के बारे में राजस्व और वन विभाग के बीच में ही स्पष्टता नहीं है. लगभग 1.3 लाख हेक्टेयर निजी जमीन वन विभाग ने अनाधिकृत रूप से अपने कब्ज़े में रखी हुई है. पिछले 60 सालों में 4 लाख एकड़ निजी जमीन सरकारी परियोजनाओं के नाम पर छीन ली गयी और उनका कोई मुआवजा नहीं दिया गया. वास्तव में सरकारों ने जमीन और खेती के मामले में हमेशा अमानवीय और जन विरोधी रवैया अख्तियार किया.

आखिर किसान चाहता क्या है?

एक - उसे उसके उत्पादन की न्यायोचित कीमत मिले. आज की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसे अपने काम की मजदूरी भी नहीं मिलती है. यदि वह एक अकुशल मजदूरी के रूप में काम करता तो उसे वर्ष 2016 में 6600 रूपए की आय होती; लेकिन उसकी वास्तविक कृषि आय 4016 रूपए ही है. एन एस एस ओ की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को 14.9 प्रतिशत बीज पर, 25.7 प्रतिशत उर्वरक पर, 8.3 प्रतिशत रसायनों पर, 13.3 प्रतिशत श्रम पर और 35.9 प्रतिशत सिंचाई, रखरखाव, मशीनों की मरम्मत, ब्याज, पशु देखभाल पर खर्च करना

पड़ता है. एम एस स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की थी कि किसान को उसके उत्पादन की लागत के ऊपर 50 प्रतिशत आय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वह खेती की अनिश्चितता और आपदाओं से निपट सके. किसानों को उनकी उपज का इतना कम मूल्य मिलता है कि वे अपना क़र्ज़ चुका नहीं पाते हैं. वे हमेशा के लिए क़र्ज़ माफ़ी नहीं चाहते हैं, वे सही कीमत चाहते हैं ताकि उन पर चूककर्ता का ठप्पा न लगे;

दो - सरकारी खरीदी सहज, व्यावहारिक और सहज तरीके से हो.

तीन - सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति सही हो, न्यायोचित दर भी हो.

चार - सरकार खरीदी केवल गेहूं-चावल तक ही सीमित न हो. अन्य उपजों को भी संरक्ष मिले.

पांच - बीजों और उर्वरकों-कीटनाशकों की उपलब्धता किसान हित में हो. पिछले 15 सालों में इन पर निजी कंपनियों का एकाधिकार सा हो गया है.

छः - सरकार खरीदी तो करे, पर खरीदी गयी उपज को सड़ाये नहीं; पिछली बार सरकार ने इसी तरह की स्थिति में कई सौ करोड़ रूपए की प्याज खरीदी थी. वह प्याज सड़ा दी गयी. क्या यह किसान का अपमान नहीं है? अतः विकेन्द्रीकृत भण्डारण की व्यवस्था भी जरूरी है.

सात - नगर तथा ग्राम निवेश क़ानून में कुछ ऐसे प्रावधान किये गए हैं, जो किसानों के हित में नहीं हैं. जमीन के व्यापार और भवन निर्माता कंपनियों के लाभ के लिए चलाई जा रही प्रक्रियाएं किसानों का अहित कर रही हैं.

आठ - कर्जमाफी; राज्य के किसानों के ऊपर लगभग 82 हज़ार करोड़ रूपए का कुल कर्जा है.

एक विषय अदृश्य है - छोटे और मझौले किसानों और कृषि मजदूरों के हित; किसानों की आय बढ़ाने से लेकर देश में खाद्य और आजीविका की सुरक्षा के मद्देनज़र को नीतिगत कदम उठाये जा रहे हैं, उनमें कृषि मजदूर तो पूरी तरह से गायब ही कर दिए गए हैं.

अंत में; दो दशकों से ज्यादा समय से पनप रहे कृषि के मुद्दों पर किसान खुल कर सामने आ गए. वे बुनियादी मुद्दों का समाधान चाहते थे, पर सरकार ने राजनीतिक अठखेलियों से इसे निपटाने की कोशिश की. हिंसा भी भडकी और टकराव भी हुआ. मीडिया और सरकार ने इसे "हिंसक आंदोलन" के रूप में स्थापित कर "अनैतिक आंदोलन" साबित करने की कोशिश की और 6 किसानों को प्रशासनिक गोली मारने के बाद महात्मा गांधी के आवरण में चले गए. जब वे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों से दम ठोंक के कह रहे थे कि जहाँ आप उंगली रख देंगे; वह जमीन आपकी, तब उन्हें गांधी जी का स्मरण नहीं आया था. अब देखना यह है कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से उभरा किसान आंदोलन वर्ष 2017 से 2019 के बीच होने वाले चुनावों में क्या असर डालता है? क्या अब कोई निर्णायक परिणाम आ सकते हैं?

व्यापक परिदृश्य

भारत में दाल -भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और दुनिया का सबे बड़ा दाल आयातक देश है. वर्ष 2004-05 में भारत ने 13.4 लाख टन दालों का आयात किया था. वर्ष 2005-06 में 2.5 हज़ार करोड़ रूपए की 17 लाख टन दाल आयात की थी. यह आयात बढ़ते-बढ़ते वर्ष 2015-16 में 58.2 लाख टन तक पंहुच गया. इसके लिए 25.6 हज़ार करोड़ रूपए खर्च किये गए.

भारत में खाने का तेल -वर्ष 2005-06 में भारत ने 42.9 लाख टन खाने का तेल आयात किया था. इसके लिए 9000 करोड़ रूपए खर्च किये गए थे. वर्ष 2009-10 में यह आयात बढ़कर 80.3 लाख टन हो गया.

वर्ष 2015-16 की स्थिति में भारत ने 156.4 लाख टन खाने के तेल का आयात किया. जिसके लिए 68.7 हज़ार करोड़ रूपए खर्च किये गए.

आत्महत्याएं; किसान ही नहीं मजदूर भी मर रहा है;

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी से पता चलता है कि देश में खेती का करने वाले लोगों द्वारा चिंताजनक रूप से आत्महत्या की जा रही है. यह नहीं माना जाना चाहिए कि आत्महत्या केवल किसानों ही कर रहे हैं. तथ्य बताते हैं कि वर्ष 2014 में कृषि से जुड़े 12360 लोगों ने आत्महत्या की थी. इनमें से 6710 (यानी 54.3 प्रतिशत) खेतिहर मजदूर थे. इसी तरह वर्ष 2015 में 12602 कृषि सम्बंधित लोगों की आत्महत्या करने वालों में 4595 (36.5 प्रतिशत) खेतिहर मजदूर थे. मौजूदा व्यवस्था मजदूरों के हित में नहीं है. जब हम मुआवजे या कर्जमाफी या फिर व्यापक तौर पर कृषि/फसल बीमा की वकालत करते हैं, तब खेतिहर मजदूरों के हितों की बात दबी छिपी रह जाती है. गुजरात, कर्नाटक, आँध्रप्रदेश जैसे राज्यों में किसानों से ज्यादा आत्महत्या खेतिहर मजदूरों ने की है.

किसान और खेतिहर मजदूरों द्वारा आत्महत्याएं

	2014			2015		
	किसान	खेतिहर मजदूर	कुल	किसान	खेतिहर मजदूर	कुल
मध्यप्रदेश	826	372	1198	581	709	1290
महाराष्ट्र	2568	1436	4004	3030	1261	4291

गुजरात	45	555	600	57	244	301
कर्नाटक	321	447	768	1197	372	1569
तेलंगाना	898	449	1347	1358	42	1400
छतीसगढ़	443	312	755	854	100	954
आँध्रप्रदेश	160	472	632	516	400	916
उत्तरप्रदेश	63	129	92	145	79	324
भारत	**5650**	**6710**	**12360**	**8007**	**4595**	**12602**
प्रतिशत	**45.7**	**54.3**	**100**	**63.5**	**36.5**	**100**

कृषि का मशीनीकरण और मानव श्रम

कृषि लागत और मूल्य आयोग इस बात की वकालत करता है कि वर्तमान में मानवश्रम के कारण कृषि उत्पादन का लागत बहुत बढ़ती है. और यह लागत लगतार बढ़ रही है. अतः आयोग चाहता है कि कृषि के काम के मशीनेकरण को प्रोत्साहन दिया जाए. इसके लिए अनुदान और संस्थागत ऋण की व्यवस्था हो ताकि किसान कृषि मशीनें खरीद सकें.

छोटे और मझौले किसानों के लिए कस्टम हायरिंग यानी किराए पर खेती उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है.

कुछ राज्यों में वर्ष 2015-16 में कृषि मजदूरी की दर इस प्रकार थी -

1. मध्यप्रदेश - 185 रूपए
2. केरल - 661 रूपए
3. तमिलनाडु - 392 रूपए
4. हिमाचल प्रदेश - 373 रूपए
5. हरियाणा - 356 रूपए
6. पंजाब - 301 रूपए
7. अखिल भारत - 256 रूपए

8. बिहार - 245 रूपए
9. उत्तरप्रदेश - 216 रूपए

अब सवाल यह है कि खेत और खेती के काम का मशीनीकरण होने से मानव श्रम की जरूरत में भी कमी नहीं आएगी? यदि मशीनीकरण से खेती की लागत कम होगी, तो क्या रोज़गार के अवसर भी कम नहीं होंगे.

खेती और रोज़गार के परस्पर सम्बन्ध कुछ इस तरह रहे हैं -

वर्ष	कुल कार्यशील जनसँख्या	खेती से जुड़ी कार्यशील जनसख्या	प्रतिशत (खेती से रोज़गार हासिल करने वाले)
1999-2000	39.7 करोड़	23.8 करोड़	59.9 प्रतिशत
2004-05	45.7 करोड़	25.7 करोड़	56.3 प्रतिशत
2009-10	46.0 करोड़	24.5 करोड़	53.3 प्रतिशत
2011-12	46.7 करोड़	22.8 करोड़	48.8 प्रतिशत

उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण है, किन्तु!

मध्यप्रदेश किसान आंदोलन के प्रभाव में है. वस्तुतः पिछले दो दशकों में "प्रबंधन तकनीकों" से किसानों के मुद्दों और संकट को दबाया और फुसलाया जाता रहा है. मूल समस्याएं हल नहीं हुई, कभी-कभी कुछ आश्वासन मिलते रहे और सत्ता ने खेती से जुड़े प्रभावशाली तबकों को अपने पक्ष में करके रखा. राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठनों ने खेती, किसान और कृषि मजदूर के हितों को मजबूती से संघर्ष का आधार नहीं बनाया.

मध्यप्रदेश का उदाहरण लेते हैं. वर्ष 200-11 से लेकर 2015-16 तक की अवधि में देश में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा कुछ कम ही हुई है. उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की कमी हुई. महाराष्ट्र में 35.7 प्रतिशत, गुजरात में 29.8 प्रतिशत, तेलंगाना में 33 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 12.5 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ; किन्तु मध्यप्रदेश में उत्पादन 48.1 प्रतिशत बढ़ा. जब उत्पादन बढ़ा, तो फिर किसान संकट में क्यों है?

किसान संकट में इसलिए है क्योंकि उसे अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिला और वह प्रशासनिक तंत्र की कृषि विरोधी कार्यप्रणाली से तंगाया हुआ है. उसे प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान का सही मुआवजा नहीं मिला मिला रहा है और प्रदेश में विकेन्द्रीकृत भण्डारण की व्यवस्था नहीं बनायी गयी है.

देश में राज्यवार खाद्यान्न उत्पादन (2011-12 से 2015-16) (हज़ार टन में)						
	2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-2016**	**5 साल में बदलाव**
मध्यप्रदेश	20394.8	23690.4	22978	28687	30213.1	48.1
महाराष्ट्र	12544	10973.3	13846.2	11311.9	8066.6	-35.7
गुजरात	8874.3	7056.2	9179.6	7109.3	6233.4	-29.8
कर्नाटक	12095.1	10863.3	12208.9	12138	9969	-17.6
तेलंगाना	7495	8232.7	9142.9	7114.8	5025	-33.0
छतीसगढ़	6870.5	7643.6	7598	7463.1	6958.7	1.3
आँध्रप्रदेश	10868.1	10429.8	10522.3	10494.1	10572.2	-2.7
उत्तरप्रदेश	50283.6	50745.4	50027.5	39594	44011	-12.5
भारत	**259286**	**257134.6**	**265045.2**	**252022.9**	**252224.1**	**-2.7**
स्रोत - अतारांकित प्रश्न क्रमां - 1930;02/12/2016; राज्य सभा में;						

किसानों की संख्या में कमी और मजदूरों की संख्या में वृद्धि

वर्ष 1991 से देश में यह घोषित नीति है कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों की संख्या को कम करना है ताकि खेती पर से दबाव कम हो. यह माना जाता है कि जोतों का आकार कम होते जाने से खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है. इस नीति में खेती में रोज़गार कम करने की बात कही गयी है, किन्तु खेती से निकाले गए लोगों को रोज़गार का विकल्प देने में सभी सरकारें नाकाम रही हैं. इसके साथ ही सरकार भी कृषि और इससे जुड़े लोगों को बहुत संरक्षण देने को तत्पर नहीं है. जब हम जनगणना 2001 से 2011 के बीच खेती से जुड़े लोगों की संख्या का आंकलन करते हैं, तब हमें एक स्याह चित्र नज़र आता है. ये आंकड़े बताते हैं कि देश में 85 लाख किसानों ने खेती का काम छोड़ा है. सरकार की नीति के मुताबिक इन्हें अन्य क्षेत्रों में अवसर मिलना चाहिए थे; किन्तु इसी अवधि में भारत में खेतिहर मजदूरों की संख्या में 3.755

करोड़ की वृद्धि हो गयी. इसका एक मतलब तो यही है कि विकास के दौर में किसान खेती छोड़ करके मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गया है. इस संख्या में आँध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है.

भारत में किसान और खेतिहर मजदूर - संख्या में बदलाव

(संख्या दस लाख में)

	किसान			खेतिहर मजदूर		
	2001	2011	प्रतिशत बदलाव	2001	2011	प्रतिशत बदलाव
मध्यप्रदेश	11.04	9.84	-10.9	7.4	12.19	64.7
महाराष्ट्र	11.81	12.57	6.4	10.82	13.49	24.7
गुजरात	5.8	5.45	-6.0	5.16	6.84	32.6
कर्नाटक	6.88	6.58	-4.4	6.23	7.16	14.9
पंजाब	2.07	1.93	-6.8	1.49	1.59	6.7
छतीसगढ़	4.31	4	-7.2	3.09	5.09	64.7
आँध्रप्रदेश	7.86	6.49	-17.4	13.83	16.97	22.7
उत्तरप्रदेश	22.17	19.06	-14.0	13.4	19.94	48.8
राजस्थान	13.14	13.62	3.7	2.52	4.94	96.0
भारत	**127.31**	**118.81**	**-6.7**	**106.78**	**144.33**	**35.2**

स्रोत - अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 326;18/11/2016; राज्य सभा

कृषि ऋण का सवाल

पिछले डेढ़ दशकों में किसान की एकमात्र मांग को हर जगह उछाला गया है - कर्जमाफी; ऐसा प्रस्तुतीकरण हुआ मानो, किसान क़र्ज़ लेकर उसे खा जाना चाहता है. किसान कर्जखोर है. बैंक और वित्तीय नीतियों के विशेषज्ञ अक्सर यही कहते दिखाई देते है कि किसानों की कर्जमाफी बुरी बात है, इससे उनकी आदत बिगड़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यनाश होगा. वे यह कहना भूल जाते हैं कि हमारी नीतियों के कारण ही किसान इतने गहरे कर्जे में डूबा और बाज़ार के जाल में फँस जाने के कारण अपने दम पर क़र्ज़ चुकाने की स्थिति में नहीं है. यदि वह क़र्ज़

खा जाना चाहता, तो आराम करता और खेत में जाकर मेहनत नहीं करता. उसने मेहनत की है, इसीलिए देश में पिछले 5 दशकों में उत्पादन इतने ऊंचे स्तर तक पंहुचा है. कृषि राज्य मंत्री परषोतम रूपला ने 2 दिसम्बर 2016 को राज्य सभा में कहा कि किसान संस्थागत और असंस्थागत स्रोतों से ऋण लेता है और किसान आत्महत्या का मुख्य कारण असंस्थागत स्रोतों से लिए गए ऋण ही हैं.

आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सरकार लगातार संस्थागत कृषि ऋण में वृद्धि कर रही है. वर्ष 2013 में 730122.62 करोड रूपए, वर्ष 2014 में 845328.23 करोड़ रूपए और वर्ष 2015 में 877527.04 करोड रूपए का कृषि कर्ज बांटा गया.

वर्षवार कृषि ऋण वितरण में बदलाव (करोड़ रूपए में)			
	2013	**2014**	**2015**
मध्यप्रदेश	**38631.75**	**47048.58**	**52104.01**
महाराष्ट्र	61163.69	66821.29	62776.8
गुजरात	33621.71	39326.72	44563.2
कर्नाटक	51879.15	60233	84832.48
पंजाब	58473.62	72962.98	84652.89
छतीसगढ़	6555.84	7872.01	8476.67
आँध्रप्रदेश	83585.72	53936.21	74135.94
उत्तरप्रदेश	59276.81	72611.36	37328.86
राजस्थान	54777.24	65743.36	67627.26
तमिलनाडु	99905.55	100225.77	105217.67
भारत	**730122.62**	**845328.23**	**877527.04**
स्रोत - अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 3357;31/03/2017; राज्य सभा में			

कृषि उत्पादों की लागतें

१. **न्यूनतम समर्थन मूल्य**[2] - सरकारी खरीदी के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तय मूल्य होता है.

२. **आर्थिक लागत (इकोनोमिक कास्ट)** - न्यूनतम समर्थन मूल्य + भण्डारण + वितरण + गनी बेग + बाज़ार की फीस/शुल्क + विकास शुल्क/कर आदि का जोड़ उत्पाद की आर्थिक लागत होता है.

उदाहरण के लिए वर्ष 2016-17 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रूपए था, किन्तु उसकी आर्थिक लागत 2345 रूपए थी.

इसी तरह चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2205 रूपए था, किन्तु आर्थिक लागत 3267 रूपए थी.

३. **थोक मूल्य** - बाज़ार में किसी भी कृषि उत्पाद की मांग और उस मांग की पूर्ति की स्थिति में जो अंतर होता है, उससे बाजार में उत्पाद का थोक मूल्य तय होता है. यदि मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, तो बाज़ार थोक मूल्य (जिस पर उत्पाद की बड़ी मात्रा का कारोबार होता है) कम होते जाते हैं. इसी तरह यदि मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है, तो थोक मूल्य कम होते जाते हैं. इन मूल्यों को तय करने में कृषि उत्पाद के बड़े बाज़ार और बड़े व्यापारी (अब कंपनियां भी) मुख्य भूमिका निभाते हैं. इन्हें तय करने में उत्पादक् यानी किसान की भूमिका लगभग नगण्य होती है.

कृषि उत्पादों की लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और लाभ का गणित

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी ए सी पी) न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया में कृषि उत्पादों की लागत का तीन तरह से निर्धारण और वर्गीकरण करता है.

---

[2] सीएसीपी मूल्य नीति सिफारिशों को तैयार करते हुए कई महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार करता है जिसमें उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, मंडी मूल्यों का रूख, मांग और आपूर्ति स्थिति, अंतर फसल मूल्य समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव, अंतराष्ट्रीय मंडी मूल्य स्थिति आदि शामिल है।

खेती/उत्पादन लागत में सभी भुगतान लागत जैसे मजदूरों, बैलगाड़ी/मशीन श्रम (किराये पर लिए गए और स्वयं के) पर वहन की गई लागत और बीज, उर्वरकों, खाद, पम्प सैट चलाने के लिए डीजल/बिजली की लागत सहित सिंचाई प्रभार जैसे सामग्री आदानों के उपयोग पर हुए नकद एवं जिंस खर्चों के अलावा लीज पर ली गई भूमि पर किया गया भुगतान आदि शामिल है। इसके अलावा उत्पादन लागत में पारिवारिक श्रम की मजदूरी, अध्यारोपित मूल्य और स्वयं की भूमि हेतु किराया आदि शामिल है। इस लागत में फार्म मशीनरी और भवनों का मूल्यह्रास भी शामिल है। इसी प्रकार उत्पादन लागत में न केवल नकद एवं जिंस संबंधित खर्चे बल्कि भूमि और परिवार श्रम सहित स्वंय की संपत्तियों का अध्यारोपित मूल्य भी शामिल है।

अ. ए2 (A2) - वास्तविक भुगतान की लागत (Actual Paid Out Cost)

आ. ए2+एफ एल (A2+FL) - वास्तविक भुगतान लागत + अध्यारोपित पारिवारिक श्रम (Actual Paid Cost + Imputed Value of Family Labor)

इ. सी2 (C2) - वृहद और व्यापक लाग ; इसमें अध्यारोपित किराया, अपनी जमीन और पूँजी पर लागू ब्याज शामिल , (Comprehensive Cost including Imputed Rent and Interest on owned land and capita).

	ए2 (A2)	**ए2+एफ एल (A2+FL)**	**सी2 (C2)**	**एम एस पी**	**ए2+एफ एल (A2+FL) पर एमएसपी अधिकता**
गेहूं	631	797	1203	1625	103.89
जौ	511	816	1119	1325	62.38
चना	1799	2241	3185	3800	69.5
रेपसीड/सरसों	1232	1871	2773	3600	92.41
धान	840	1117	1484	1550	38.76
ज्वार	1214	1556	2089	1700	9.25
बाजरा	571	949	1278	1424	50.16
रागी	1384	1861	2351	1900	2.10
मक्का	761	1044	1396	1425	36.49
अरहर	2463	3318	4612	5250	58.23
मूंग	2809	4286	5700	5375	25.41
उरद	2393	3265	4517	5200	59.26

मध्यप्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश तक हर एक किसान कह रहा है कि सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य वाजिब नहीं है. इस मूल्य के हासिल हो जाने पर भी किसान को न्यूनतम मजदूरी के बराबर का लाभ भी नहीं होता है. कृषि का उद्यम किसी अन्य उद्यम की तुलना में बहुत ज्यादा अनिश्चित है; ऐसे में जरूरी है कि वह अनिश्चितता से सुरक्षा देने के हिसाब से समर्थन मूल्य तय हो. लेकिन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की मान्यता है कि किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें पर्याप्त लाभ उपलब्ध करवाता है.

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक बिक्री मूल्य मांग और आपूर्ति के बाज़ार कारकों, उत्पाद की गुणवत्ता, मौसम द्वारा निर्धारित होते हैं. सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर 25 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है. सरकार का दावा है न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना है कि किसान को धान की लागत पर 40.67 प्रतिशत, गेहूं के मामले 103.89 प्रतिशत, रेपसीड तथा सरसों के मामले में 97.8 प्रतिशत की प्राप्ति होती है.

अखिल भारतीय भारित औसत ए2+एफएल (पारिवारिक श्रम) उत्पादन लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम लाभ

क्र.	उत्पाद / सामग्री	उत्पादन लागत (2016-17) पारिवारिक श्रम के	फ़	थोक मूल्य, फ़रवरी 2017	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2016-17	□□□□ □□ प्राप्ति (प्रतिशत)
1	धान	1045		1680	1470	40.67
2	मक्का	966		1618	1365	41.30
3	अरहर (तुअर)	3421		4879	5050	55.82
4	मूंग	4065		5514	5225	28.54
5	कपास	2889		5368	3860	33.61
6	मूंगफली छिलके सहित	3		3371	5798	4220	25.19
7	सोयाबीन (पीली और काली)	1852		2793	2775	49.84
8	गेहूं	797		2063	1625	103.89
9	चना	2241		6582	4000	78.50
10	रेपसीड/सरसों	1871		4076	3700	97.80

कृषि उत्पाद पर कर (लेवी और टेक्स)

वैधानिक लेवी और कर (2015-16) - यह माना जाना उचित नहीं है कि कृषि और इसके उत्पादों पर कर नहीं लगता है. कुछ राज्यों में कृषि उत्पाद पर लेवी और करों की दर इस प्रकार है -

हरियाणा - 11.50 प्रतिशत

पंजाब - 14.5 प्रतिशत

मध्यप्रदेश - 9.2 प्रतिशत

उत्तरप्रदेश - 8.63 प्रतिशत (खरीफ)

आन्ध्र प्रदेश - 13.13 प्रतिशत (खरीफ)

वर्ष 2004-05 से 2015-16 के बीच हरियाणा, पंजाब और मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादों पर 31842 करोड़ रूपए वसूले गए हैं.

सरकारी खरीदी

भारत में केन्द्रीय भण्डार-पूल में 41.12 मिलियन टन अनाज का भण्डार सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है. इसे बफर स्टाक कहा जाता है. इसमें से 13.54 मिलियन टन चावल और 27.58 मिलियन टन मिलियन टन गेहूं का भण्डार होता है.

वर्ष 2012-13 की स्थिति में बफर स्टाक 54.85 मिलियन टन है. वर्ष 2016-17 की स्थिति में लगभग 80 मिलियन टन अनाज भण्डार में था.

गेहूं की सरकारी खरीदी का उदाहरण

कुछ राज्य जहाँ से कुल उत्पादन मे से सबसे ज्यादा सरकारी खरीदी होती है -

1. पंजाब से 41.3 प्रतिशत
2. हरयाणा से 25.3 प्रतिशत
3. मध्यप्रदेश से 23.3 प्रतिशत
4. उत्तरप्रदेश से 4.8 प्रतिशत

कुल बाज़ार में उपलब्ध आधिक्य में से सरकारी खरीदी

1. पंजाब - 73.40 प्रतिशत
2. हरियाणा - 69.06 प्रतिशत
3. मध्यप्रदेश - 31.47 प्रतिशत

4. अखिल भारत - 31.47 प्रतिशत
5. उत्तरप्रदेश - 4.03 प्रतिशत
6. बिहार - 00 प्रतिशत

चावल की सरकारी खरीदी - पंजाब अब भी केन्द्रीय भण्डार में सबसे ज्यादा चावल डालने वाला राज्य है. कुल सरकारी खरीदी का 25.7 प्रतिशत पंजाब से, 11.9 प्रतिशत आँध्रप्रदेश से, 11.4 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से और ओड़ीसा से 9.8 प्रतिशत हिस्सा आता है. विसंगति यह है कि अब भी ज्यादा चावल उगाने वाले राज्यों से सरकारी भण्डार में चावल नहीं आता है. आसाम और पश्चिम बंगाल ऐसे ही राज्य हैं.

उत्पादन बनाम सरकारी खरीद

वर्ष 2012-13 में भारत में गेहूं और चावल का कुल उत्पादन 20.01 करोड़ टन हुआ था, इसमें से सरकार ने 7.219 करोड़ टन यानी 36.1 प्रतिशत हिस्से की खरीदी की था. इसके बाद कुल उत्पादन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदे/संग्रहण का हिस्सा कुछ कम ही होता गया है. वर्ष 2013-14 में कुल उत्पादन में से 28.4 प्रतिशत, 2014-15 में 32.9 प्रतिशत, 2015-16 में 32.6 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 29.9 प्रतिशत अनाज खरीदा गया. इसका एक मतलब यह भी है कि खुले बाज़ार में कुल उत्पादन का दो तिहाई हिस्सा उपलब्ध रहा है.

उत्पादन बनाम सरकारी खरीद/संग्रहण

वर्ष	□□□			□□□□			□□□□□ (कुल उत्पादन और कुल खरीद		खरीदी (उत्पादन □□%)
	उत्पादन	खरीदी	प्रतिशत	उत्पादन	खरीदी	प्रतिशत	कुल उत्प.	कुल खरीद	
2012-13	948.82	381.48	40.2	1052.41	340.44	32.3	2001.2	721.9	36.1
2013-14	935.01	250.92	26.8	1066.45	318.45	29.9	2001.5	569.4	28.4
2014-15	958.54	280.23	29.2	1054.82	382.69	36.3	2013.4	662.9	32.9
2015-16	865.27	280.88	32.5	1043.17	342.19	32.8	1908.4	623.1	32.6
2016-17	934.94	229.61	24.6	938.8	330.86	35.2	1873.7	560.5	29.9

स्रोत - SIGNIFICANT INITIATIVES AND ACHIEVEMENTS OF DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION / http://dfpd.nic.in/writereaddata/images/ebook17Janc2017english.pdf

उपज की लागत का गलत आंकलन और कृषि का संकट

क्या भारत में कृषि उपज की लागत का सही-सही निर्धारण होता है? जवाब है - बिलकुल नहीं!

भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है. जनवरी 1965 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसे कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था. वर्ष 1985 में इसमें लागत निर्धारण का हिस्सा जुड़ा और इसे तभी से इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है. वर्ष 2009 से न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति की स्थिति, आदान मूल्यों में परिवर्तन, मंडी मूल्यों का रुख, जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव और अन्तराष्ट्रीय बाज़ार के मूल्य को ध्यान में रखा जाता है. हमें यह जिज्ञासा होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में किसान और खेतिहर मजदूर का क्या स्थान होता है? कृषि एवं किसान मंत्रालय ने राज्य सभा में यह वक्तव्य दिया है कि खेती के उत्पादन की लागत के निर्धारण में केवल नकद या जिंस से सम्बंधित खर्चे ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें भूमि और परिवार के श्रम के साथ-साथ स्वयं की संपतियों का अध्यारोपित मूल्य भी शामिल होता है. क्या सचमुच?

मसला यह है कि भारत में खेती के क्षेत्र में जबरदस्त विविधता होती है. जलवायु, भौगोलिक स्थिति, मिट्टी का प्रकार और सांस्कृतिक व्यवहार; ये सब कृषि के तौर तरीकों को गहरे तक प्रभावित करते हैं; परन्तु जब भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है, तब वह मूल्य पूरे देश के लिए एक जैसा ही होता है. आयोग पूरे देश की विविधता को इकठ्ठा करके एक औसत निकाल लेता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देता है.

आयोग के अपने खुद के ही आंकलन बताते हैं कि देश में उत्पादन की परिचालन लागत (इसमें श्रम, बीज, उर्वरक, मशीन, सिंचाई, कीटनाशी, बीज, ब्याज और अन्य खर्चे शामिल हैं) और खर्चे भिन्न-भिन्न होते हैं, फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक जैसा क्यों? इसमें मानव श्रम के हिस्से को खास नज़रिए से देखने की जरूरत है क्योंकि कृषि की लागत कम करने के लिए सरकार की नीति है कि खेती से मानव श्रम को बाहर निकाला जाए. पिछले ढाई दशकों में इस नीति ने खेती को बहुत कमज़ोर किया है. इन सालों में लगभग 11.1 प्रतिशत लोग खेती से बाहर तो हुए हैं, किन्तु उनके रोज़गार कहीं दूसरे क्षेत्र में भी सुनिश्चित हो पा रहे हों, यह दिखाई नहीं देता. न्यूनतम समर्थन मूल्य और

उत्पादन की परिचालन लागत को मानव श्रम के नज़रिए से देखना जरूरी है. कृषि लागत और मूल्य आयोग ने ही वर्ष 2014-15 के सन्दर्भ में रबी और खरीफ की फसलों की परिचालन लागत का अध्ययन किया, इससे पता चलता है कि कई कारकों के चलते अलग-अलग राज्यों में उत्पादन की बुनियादी लागत में बहुत ज्यादा अंतर आता है. हम कुछ उदाहरण देखते हैं -

□□□ - बिहार में एक हेक्टेयर में चने की खेती में 18584 रूपए की परिचालन लागत आती है, जबकि आँध्रप्रदेश में 30266 रूपए, हरियाणा में 17867 रूपए, महाराष्ट्र में 25655 रूपए और कर्नाटक में 20686 रूपए लागत आती है. इस लागत में अन्तर आने एक बड़ा कारण मजदूरी पर होने वाला खर्च शामिल है. हमें यह ध्यान रखना होगा कि खेती से सिर्फ किसान ही नहीं कृषि मजदूर भी जुड़ा होता है. बिहार में कुल परिचालन लागत में 44.3 प्रतिशत (8234.6 रूपए), आँध्रप्रदेश में 44.2 प्रतिशत (13381.3 रूपए) हरियाणा में 65.6 प्रतिशत (11722 रूपए), मध्यप्रदेश में 33.4 प्रतिशत (6966 रूपए), राजस्थान में 48 प्रतिशत (7896 रूपए) हिस्सा मजदूरी व्यय का होता है.

चने की प्रति हेक्टेयर परिचालन लागत अलग-अलग राज्यों में 16444 रूपए से लेकर 30166 रूपए के बीच आ रही है.

□□□ - यह एक महत्वपूर्ण उत्पाद है. इसके अध्ययन से पता चलता है कि खेती के मशीनीकरण के आखिर कहाँ असर किया है? पंजाब गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है. वहां गेहूं उत्पादन की परिचालन लागत 23717 रूपए प्रति हेक्टेयर है, इसमें से वह केवल 23 प्रतिशत (5437 रूपए) ही मानव श्रम पर व्यय करता है, वह मानव श्रम से ज्यादा मशीनी श्रम पर खर्च करता है. जबकि हिमाचल प्रदेश में परिचालन लागत 22091 रूपए है, जिसमें से 50 प्रतिशत हिस्सा (10956 रूपए) मानव श्रम का है. इसी तरह राजस्थान में गेहूं उत्पादन की परिचालन लागत पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तुलना लगभग डेढ़ गुना ज्यादा है. और वहां लागत का 48 प्रतिशत (16929 रूपए) हिस्सा मानव श्रम पर व्यय होता है. इसी तरह मध्यप्रदेश 25625 रूपए में से 33 प्रतिशत (8469 रूपए), पश्चिम बंगाल 39977 रूपए की परिचालन लागत में से 50 प्रतिशत (19806 रूपए), बिहार 26817 रूपए में से 36 प्रतिशत (9562 रूपए) मानव श्रम पर व्यय करते हैं. गेहूं की बुनियादी लागत 20147 रूपए से 39977 रूपए प्रति हेक्टेयर के बीच आई थी.

राज्यवार गेहूं की उत्पादन लागत (ए2□□□□) लागत वर्ष - 2014-15 (कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18)											
औसत न्यूनतम मजदूरी 2014	210.38	183.39	342.27	350	□□.	166.64	298.72	222	287	198	229.25

					नहीं						
□□	बिहार	□□□□	हरियाणा	हिप्र	□□□□	मप्र	□□□	महाराष्ट्र	राजस्थान	उप्र	□. □□□
मानव श्रम	9562.08	9832.2	12353.29	10955.95	7889.34	8469.54	5437.08	11976.83	16927.6	10996.9	19806.56
पशु श्रम	15.41	300.98	5	676.43	999.72	774.49	49.19	1653.59	397.6	584.45	2342.31
मशीन श्रम	5634.81	6269.97	8604.72	4085.47	2994.91	6632.69	8276.24	6799.37	5595.47	6203.57	3616.36
बीज	2994.3	4184.8	2356.1	1855.97	2624.13	2589.1	1961.84	3846.36	3432.66	3177.11	4159.92
उर्वरक	4396.22	4429.59	4299.79	4003.58	3162.97	2877	5228.9	3786.5	3726.19	4868	5818.37
कीटनाशी	62.24	462.7	887.59	79.22	0	38.72	1545.83	171.04	95.45	41.46	31.13
सिंचाई	3500.14	4753.1	3879.9	74.32	1988.2	3644.49	498.45	4676.25	4303.7	3968.25	3193.84
ब्याज	651.78	759.49	737.68	360.25	488.37	599.11	635.82	835.47	655.91	703.91	1009.08
अन्य	0	0	0	0	0	0.18	84.49	61.24	0	0.2	0
परिचालन लागत-रु./□□	**26816.98**	**30992.83**	**33124.07**	**22091.19**	**20147.64**	**25625.32**	**23717.84**	**33806.65**	**35134.58**	**30543.85**	**39977.57**

□□□ - अनाजों के समूह में चावल महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए धान की फसल को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है. हिमाचल प्रदेश में धान के उत्पादन की परिचालन लागत 26323 रूपए प्रति हेक्टेयर है. इसमें से 72 प्रतिशत (19048 रूपए) मानव श्रम पर व्यय होते हैं. बिहार में 26307 रूपए में से 58 प्रतिशत (15281 रूपए), गुजरात में 41447 रूपए में से 47 प्रतिशत (19507 रूपए), पंजाब में 34041 रूपए में से 43 प्रतिशत (14718 रूपए), झारखंड में 23875 में से 56 प्रतिशत (13342 रूपए), मध्यप्रदेश में 28415 रूपए में से 44 प्रतिशत (12449 रूपए) मानव श्रम पर व्यय होते हैं.

वर्ष 2014-15 में धान की परिचालन लागत अलग अलग राज्यों में 23875 रूपए (झारखंड) से 54417 रूपए (महाराष्ट्र) के अंतर तक पंहुचती है.

राज्यवार धान की उत्पादन लागत (ए2□□□□) लागत वर्ष - 2014-15

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18)

□□	बिहार	आन्ध्र प्र.	□ □□□	□□□□	हरियाणा	हिप्र	□□□□	मप्र	□□□	□□.	उप्र	कर्नाटक	□. □□□	तमिलनाडु

मानव श्रम	15281.52	25779.85	28345.98	19507.3	23142.35	19048.66	13342.64	12449.54	14718.57	30455.66	20130.27	23984.84	35414.34	24089.03
पशु श्रम	241.98	557.56	3208.14	253.38	34.39	1953.54	2354.57	4023.51	40.87	8830.1	360.11	1685.24	1640.84	196.23
मशीन श्रम	3589.61	9402.23	3667.84	5504.14	5766.41	1820.03	2509.27	3777.68	6371.44	3455.13	4607.36	5669.73	3903.56	10156.25
□□□	1783.69	2265.17	1144.5	5403.88	1208.09	1682.03	1992.2	2014.48	1771.16	2270.7	3592.87	2235.64	1810.01	6751.07
उर्वरक	3093.36	8369.91	4767.66	5784.03	4583.37	900.49	3150.23	4203.75	3704.8	5666.93	4325.32	10752.36	6033.65	8965.19
कीटनाशी	18.93	2708.08	268.86	803.87	2420.21	522.29	0	917.22	3928.25	312.33	183.79	1736.24	1385.89	1490.79
सिंचाई	1702.58	1432.22	128.84	3082.63	7505.32	127.25	5.46	329.97	2623.08	1706.63	5424.35	1210.15	2912.35	2181.09
ब्याज	595.9	1289.18	770	1095.63	1056.57	269.15	520.86	608.99	853.88	1290.2	855.68	1145.12	1103.55	1390.23
अन्य	0	16.5	0	12.49	0	0	0	90.02	29.13	429.66	1.28	0	55.29	32.07
परिचालन □□□-₹./□□	26307.57	51820.7	42301.82	41447.35	45716.71	26323.44	23875.23	28415.16	34041.18	54417.34	39481.03	48419.32	54259.48	55251.95

मक्का - अनाजों के परिवार में मक्का का बहुत महत्व है. ओड़ीसा में मक्का उत्पादन की परिचालन लागत 39245 रूपए प्रति हेक्टेयर है, इसमें से 59 प्रतिशत हिस्सा (23154 रूपए) मानव श्रम पर व्यय होता है. हिमाचल प्रदेश में 21913 रूपए में से 62 प्रतिशत, गुजरात में 35581 रूपए में से 57 प्रतिशत, महाराष्ट्र 58654 रूपए प्रति हेक्टेयर की लागत आती है, इसमें से 26928 रूपए (58 प्रतिशत) और राजस्थान में 33067 रूपए में से 58 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 24518 रूपए में से 47 प्रतिशत खर्च मानव श्रम पर होता है. मक्का की परिचालन लागत उत्तरप्रदेश में 19648 रूपए प्रति हेक्टेयर से तमिलनाडु में 59864 रूपए प्रति हेक्टेयर के बीच बतायी गयी.

राज्यवार मक्का की उत्पादन लागत (₹2□□□□) लागत वर्ष - 2014-15

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18)

□□	बिहार	आन्ध्र प्र.	अ	□ □□□	□□□□	हिप्र	□□□□	मप्र	□□□	□□□.	राजस्थान	उप्र	कर्नाटक	तमिलनाडू
मानव श्रम	13083.88	19262.74	23154.45	20229.7	13552.45	17632.55	11405.14	15678.61	26928.19	19184.89	11364.1	13947.61	29319.34	
पशु श्रम	0	2254.75	2820.76	3459.27	1361.27	3804.6	2074.13	189.34	4542.39	1643.14	582.6	2799.89	119.07	
मशीन श्रम	3990.29	5420.37	3368.65	3587.69	1982.12	434.75	4386.61	7101.48	10528.05	4468.85	3402.58	4931.49	7616.15	
बीज	3100.02	5099.21	2691.41	1646.43	1016.99	5582.58	2571.43	3232.58	4557.66	3437.55	1430.86	2529.12	4495.96	

उर्वरक	5141.66	6883.52	5570.88	3913.24	3598.44	1775.57	3098.67	6167.91	6222.15	3119.49	1909.1	5079.57	12438.11
कीटनाशी	0	700.07	421.22	97.68	131.79	0	187.9	1178.88	547.27	123.18	67.79	49.22	802.88
सिंचाई	3566.16	587.3	489.65	1948.51	0	1427.32	154.85	787.18	4013.64	615.23	578.42	387.68	3579.8
ब्याज	655.68	967.29	728.61	699.12	270.14	616.23	558.13	844.44	1314.97	475.43	312.67	770.79	1465.33
अन्य	0	0	0	0	0	0	81.96	44.76	0	0	0	0	27.51
परिचालन □□□-₹./□□	**29537.69**	**41175.25**	**39245.63**	**35581.64**	**21913.2**	**31273.6**	**24518.82**	**35225.18**	**58654.32**	**33067.76**	**19648.12**	**30495.37**	**59864.15**

गेहूं, धान, चना और मक्का की उत्पादन परिचालन लागत में इतनी विभिन्नता होने के बावजूद, सभी राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एक समान ही तय किया गया, इससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाया. संविधान के मुताबिक कृषि राज्य सरकार के दायरे का विषय है, किन्तु वास्तविकता यह है कि विश्व व्यापार संगठन से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि व्यापार नीतियों तक को तय करने का अनाधिकृत काम केंद्र सरकार करती है, इससे राज्य सरकारों को कृषि की बेहतरी के काम करने से स्वतंत्र अवसर नहीं मिल पाये. बड़े बदलाव तो हम छोड़ दें, विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री यह भी नहीं समझ पाये कि देश और समाज को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में किसान और खेती की ही भूमिका होती है, बड़े धनपशुओं की नहीं!

राज्यवार मूंग की उत्पादन लागत (ए2एफ□□) लागत वर्ष - 2014-15

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18) - □□

□□	आन्ध्र प्र.	□ □□□	□□□□	महाराष्ट्र	राजस्थान	कर्नाटक
मानव श्रम	7113.85	8663.2	7963.07	11861.59	9649.67	7027.81
पशु श्रम	770.7	1144.76	552.53	4613.26	40.63	1961.09
मशीन श्रम	2179.09	1332.42	3946.02	2170.31	2848.88	3448.38
बीज	1982.28	1504.44	1602.48	1381.52	1270.76	1083.15
उर्वरक	2254.65	7.7	1024.14	3143.49	445.69	1410.26
कीटनाशी	90.06	0	416.68	185.37	19.32	539.49
सिंचाई	246.49	16.97	1531.98	75.02	9.6	36.44
ब्याज	362.62	179.92	414.78	557.66	189.89	401.29
अन्य	0	0	0	0	0	0
परिचालन लागत-स ./□□	**14999.74**	**12849.41**	**17451.68**	**23988.22**	**14474.44**	**15907.91**

राज्यवार □□□ की उत्पादन लागत (ए2□□□□) लागत वर्ष - 2014-15

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18) - □□□

	आन्ध्र प्र.	□ □□□	मध्य प्र.	महाराष्ट्र	उप्र	तमिलनाडू
मानव श्रम	8733.45	9885.76	7713.61	10129.24	7639.02	10808.63
पशु श्रम	284.24	1960.25	610.46	3931.93	9.51	0
मशीन श्रम	870.7	716.39	4144.74	3361.06	3697.71	2717.51
बीज	2880.01	1721.27	1633.1	1394.16	1299.14	1949.43
उर्वरक	267.94	0	1745.12	1194.82	18.9	994.76

कीटनाशी	904.99	0	681.97	295.4	361.99	745.99
सिंचाई	52.6	0	0	0	850.42	185.51
ब्याज	389.35	184.9	362.41	409.05	245.37	427.7
अन्य	0	0	6.76	0	0	6.13
परिचालन लागत-रु./□□	**14383.28**	**14468.57**	**16898.17**	**20715.66**	**14122.06**	**17835.66**

राज्यवार □□□ की उत्पादन लागत (ए2□□□□) लागत वर्ष - 2014-15

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18) - च□

	बिहार	आन्ध्र प्र. | ह	हरियाणा	मध्य प्र.	महाराष्ट्र	राजस्थान	उप्र	कर्नाटक
मानव श्रम	8234.59	13381.28	11722.05	6966.17	9928.02	7896.37	9235.97	9178.36
पशु श्रम	0	1099.9	9.78	683.5	1294.72	432.43	219.15	1975.74
मशीन श्रम	3557.33	4793.63	3507.25	4297.2	4308.61	2944.72	4772.4	2889.44
बीज	3433.7	4653.37	1702.91	4237.46	3051.58	2053.75	5099.99	2221.77
उर्वरक	2440.1	3862.04	0	1640.34	2623.39	1051.18	1250.91	2093.8
कीटनाशी	354.48	1612.7	59.95	916.67	989.55	2.71	10.71	1754.35
सिंचाई	106.63	23.94	518.05	1491.23	2791.81	1772.65	960.74	27.71
ब्याज	457.48	839.48	343.58	506.39	668.12	290.19	474.88	544.91
अन्य	0	0	0	128.52	0	0	0	0
श्रम लागत % में	**44.3**	**44.2**	**65.6**	**33.4**	**38.7**	**48.0**	**41.9**	**44.4**
परिचालन लागत-रु./□□	**18584.31**	**30266.34**	**17863.57**	**20867.48**	**25655.8**	**16444**	**22024.75**	**20686.08**

राज्यवार सोयाबीन की उत्पादन लागत (ए2□□□□) लागत वर्ष - 2014-15

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18) - □□□□□

□□	आन्ध्र प्र.	मध्य प्र.	महाराष्ट्र	राजस्थान
मानव श्रम	9070.53	7349.16	11678.28	8659.92
पशु श्रम	1869.25	693.1	4154.4	267.38
मशीन श्रम	4338.86	4807.97	5929.38	3695.84
बीज	3550.8	4991.5	6230.86	7021.31
उर्वरक	6107.43	2959.07	4919.74	672.12
कीटनाशी	1956.1	1741.18	1265.73	1733.63
सिंचाई	41.26	0.22	202.78	40.5
ब्याज	715.19	579.93	939.12	513.25
अन्य	1.5	422.96	3.9	0
परिचालन लागत-₹./□□	**27650.92**	**23545.09**	**35324.19**	**22603.95**

किसान की उपज और श्रम का मूल्य न्यूनतम होने का सच!

न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यूनतम मजदूरी

किसानों को अपनी उपज का सही दाम न मिलने का सबसे बड़ा कारण न्यूनतम मजदूरी/वेतन का दुर्भावनापूर्ण और भेदभावकारी निर्धारण है. एकतरफ तो खेती मौसम और बाज़ार के उतार-चढावों के कारण आज सबसे अनिश्चित कार्य बन गया है, तो वहीं दूसरी और देश में सबसे कम (न्यूनतम से भी कम) पारिश्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जा रहा है. कदम कदम पर नीतियां किसानों और श्रमिकों के हितों-हकों के खिलाफ़ हैं. यह महज़ कल्पना नहीं, राजनीतिक-आर्थिक सच्चाई है. जरा इस तथ्य पर गौर कीजिये कि खेती से जुड़े किसी भी काम को अकुशल श्रम माना जाता है, यही अपने आप में एक बेहद किसान विरोधी और असंवेदनशील नजरिया है. इस पर भी उनके श्रम को और ज्यादा कमतर आँका जाता है. मसलन अभी की स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश में किसी भी क्षेत्र में अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम मूल वेतन (मजदूरी) 274 रूपए प्रतिदिन तय किया गया है. इसमें वेतन 250 रूपए और अन्य भत्तों के 24 रूपए शामिल हैं; खेती करने वाले का क्या? खेती करने वाले को भी अकुशल श्रमिक ही माना गया है, किन्तु उसे अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय का प्रावधान किया गया है; इनके लिए कुल 200 रूपए की मजदूरी तय की गयी है, जिसमें से 178.33 रूपए उनका वेतन होता है.

मध्यप्रदेश में न्यूनतम मजदूरी (1 अप्रैल 2017 □)□	
कृषि श्रमिकों की मजदूरी 200.00	200.00 रूपए
अकुशल न्यूनतम मजदूरी	274.00 रूपए
अर्द्ध कुशल मजदूरी	307.00 रूपए
कुशल मजदूरी	360.00 रूपए
उच्च कुशल मजदूरी	410.00 रूपए

इसके दूसरी तरफ अर्द्ध कुशल मजदूरी के लिए कुल 307 रूपए और कुशल मजदूरी के लिए 360 रूपए का प्रावधान किया गया है.

मध्यप्रदेश के श्रम विभाग की न्यूनतम वेतन की अधिसूचना में दी गयी परिभाषाओं को एक बार सभ्यता के पैमानों पर परखना जरूरी है. इस अधिसूचना के अनुसार -

*"**कुशल कर्मचारी**" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें. उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्द्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए.*

*"**अर्धकुशल कर्मचारी**" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोज़मर्रा का एक निश्चित स्वरुप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम, जो उसे सौंपे जाएँ, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हों. इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोज़मर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है.*

"अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिलकुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है. इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए.

"उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरुप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग के, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है.

आपके लिए लिए कुछ सवाल यह है कि जरा सोचिये किसान को अकुशल कर्मकार क्यों मान जाना चाहिए? क्या मिट्टी की पहचान के साथ फसल तय करने में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है? बीज अंकुरित होगा या नहीं, यह जांचना गैर-तकनीकी काम है? खेत में निंदाई और गुड़ाई करना, केवल शारीरिक श्रम है, क्या इसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है? कौन से उर्वरक-खाद डालना है, कब डालना है; क्या यह विशेषज्ञता का काम नहीं है? पांच या सोलह फसलों से एकसाथ उपज कैसे ली जाए और जैविक सामग्री से खाद कैसे बनायी जाए; क्या यह गैर-तकनीकी और बिना बुद्धि के किये जाने वाले काम हैं? बैल को हल से बांधना और गाय का दूध निकालना बिना बुद्धि का काम है? कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में मानव श्रम का हिस्सा सबसे ज्यादा (अलग अलग राज्यों में 32 से 60 प्रतिशत तक) होता है, किन्तु उसका आंकलन कृषि में नियोजन के लिए तय की जा रही न्यूनतम वेतन (कृषि क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी) के आधार पर

किया जाता है. इससे खेती में जुटने वाले किसानों और मजदूरों, दोनों को ही अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है. अपने आप में यह अन्यायकारी और अपमानजनक व्यवस्था है.

मेरा जवाब यह है कि श्रम और खेती की नीति बनाने वाले वस्तुतः श्रम और श्रमिक के प्रति भेदभावपूर्ण नजरिया रखते हैं. उन्हें लगता है कि केवल मशीन चलाना या कम्प्यूटर पर गिट-पिट करना की तकनीकी और विशेषज्ञता का काम है; खेती का काम बिना बुद्धि, बिना समझ और बिना विशेषज्ञता के किये जाना वाला काम है. दुखद तथ्य यह है कि किसान और खेती से खुद जुड़े होने ला दावा करने वाले मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी कभी यह छोटी से पहल नहीं की कि खेती का काम करने वाले लोगों को कुशल श्रमिक/श्रम का दर्ज़ा दिलवाते. वे यह देख कर भी चुप रहे कि किसान को "न्यूनतम से भी न्यूनतम मजदूरी" का हकदार मान गया है. खेती का उद्धार तो दूर का सपना है; वास्तव में हम किसान और खेतिहर मजदूर से गरिमामय व्यवहार करना भी नहीं सीख पाये.

ऐसा महसूस होता है कि पिछले 50 सालों में (वर्ष 1964-65 से) नीतिगत कोशिशों से खेती में काम करने वालों के लिए बदहाली की स्थिति पैदा की जा रही है, ताकि वे खेती का काम छोड़ दें. बहरहाल इस अवधि में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने खेती के संरक्षण के लिए बहुत से क़दमों का विज्ञापनों के जरिये खूब प्रचार-प्रसार किया है; किन्तु इसके उलट ऐसा क्यों हुआ कि देश में वर्ष 2001 से 2015 के बीच हर रोज खेती से जुड़े 44 लोगों ने आत्महत्या की. वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत में हर महीने 70833 किसानों ने और 10 दस सालों में 85 लाख किसानों ने खेती का काम छोड़ा है. 21 मार्च 2017 को कृषि राज्य मंत्री ने राज्य सभा में बाते कि एनएसएसओ के द्वारा किये गए किसानों की स्थिति के मूल्यांकन सर्वेक्षण के मुताबिक 27 प्रतिशत किसान खेती को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यह लाभप्रद नहीं है. 40 प्रतिशत किसानों ने कहा कि यदि उनके पास विकल्प हों तो वे कुछ अन्य करियर की खोज कर सकते हैं. सरकार की नीति है कि कि खेती को नुकसान देने वाला काम बनाया जाए, ताकि वे जमीन छोड़ें और एग्रो बिजनेस (यानी उद्योगपति आलू उगाए, खुद चिप्स बनाए, बनी-बनाई आलू टिक्की को पैक करे और खुद की विक्रय श्रृखंला के जरिये फुटकर में बेंचे. इससे वह हर स्तर पर मिनाफा कम पाता है.) को बढ़ावा दे. दूसरा वित्तीय नीति से सम्बंधित तर्क यह है कि किसान जब ऊँची लागत लगाकर उत्पादन करता है, तो सरकार को उसे ज्यादा रियायत और मदद देना पड़ती है. बेहतर है कि किसान को सरकारी मदद के बजाये कृषि बीमा और फसल बीमा से जोड़ दिया जाए. इससे सरकार पर बोझ नहीं आएगा; लेकिन बीमा व्यवस्था वस्तुतः खेती को संरक्षण देने की मंशा से बाज़ार में नहीं आई है. इसका लाभ बीमा कंपनी को ही मिलता है. यह ध्यान रखना होगा कि कृषि और किसान को बाजार में धकेला गया तो हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में टूटन भी होगी और उपभोक्ता को भी गहरे आघात झेलने होंगे.

2014-15 की लागत के आधार पर विश्लेषण/लागत वर्ष - 2014-15

परिचालन लागत -□2□□□□ – न्यूनतम समर्थन मूल्य – श्रम लागत (□□)

राज्य	गेहूं की परिचालन □□□□-रु/□□	मानव श्रम	उत्पा./□□	परिचालन □□□□/क्वि.	□2□□□□	न्यूनतम समर्थन मूल्य	% में श्रम □□□□	□2□□□□ □□ परिचालन लागत
बिहार	26816.98	9562.08	1851	1449	848.25	1450	36	-41
गुजरात	30992.83	9832.2	2810	1103	740.78	1450	32	-33
हरियाणा	33124.07	12353.29	4574	724	653.88	1450	37	-10
हिमाचल प्र.	22091.19	10955.95	1800	1227	1245.44	1450	50	1
JH	20147.64	7889.34	1930	1044	854.97	1450	39	-18
मप्र	25625.32	8469.54	2551	1005	498.43	1450	33	-50
पंजाब	23717.84	5437.08	4491	528	623.84	1450	23	18
महा.	33806.65	11976.83	1381	2448	1259.58	1450	35	-49
राजस्थान	35134.58	16927.6	2974	1181	649.42	1450	48	-45
UP	30543.85	10996.9	4491	680	653.47	1450	36	-4
प. बंगाल	39977.57	19806.56	2836	1410	1561.84	1450	50	11
भारत					679.25	1450		

लागत के आधार पर विश्लेषण/लागत वर्ष - 2014-15

परिचालन

□□□□ – □2□□□□ – न्यूनतम समर्थन मूल्य – श्रम लागत (□□□)

राज्य	धान की परिचालन □□□□ -रु/□□	मानव श्रम	उत्पा./□□	परिचालन □□□□/क्वि.	□2□□□□	न्यूनतम समर्थन मूल्य	% में श्रम □□□□
बिहार	26307.57	15281.52	उप. नहीं	उप. नहीं	989.61	1360	58
गुजरात	41447.35	19507.3	उप. नहीं	उप. नहीं	737.26	1360	47

हरियाणा	45716.71	23142.35	उप. नहीं	उप. नहीं	868.41	1360	51
हिमाचल प्र.	26323.44	19048.66	□□. नहीं	□□. नहीं	749.86	1360	72
झारखण्ड	23875.23	13342.64	□□. नहीं	□□. नहीं	1475.32	1360	56
मप्र	28415.16	12449.54	□□. नहीं	□□. नहीं	689.34	1360	44
□□□□	34041.18	14718.57	□□. नहीं	□□. नहीं	624.26	1360	43
□□□.	54417.34	30455.66	□□. नहीं	□□. नहीं	1876.69	1360	56
राजस्थान	□□. नहीं	□□. नहीं	□□. नहीं	□□. नहीं		1360	□□. नहीं
उप्र	39481.03	20130.27	□□. नहीं	□□. नहीं	986.28	1360	51
□. □□□□	54259.48	35414.34	□□. नहीं	□□. नहीं	1163.95	1360	65
तमिलनाडू	55251.95	24089.03	□□. नहीं	□□. नहीं	1040.65	1360	44
कर्ना.	48419.32	23984.84	□□. नहीं	□□. नहीं	876.38	1360	50
आन्ध्र प्र.	51820.7	25779.85	□□. नहीं	□□. नहीं	923.18	1360	50
□ □□□□	42301.82	28345.98	□□. नहीं	□□. नहीं	1032.97	1360	67

लागत के आधार पर विश्लेषण/लागत वर्ष - 2014-15

परिचालन लागत -□2□□□□ – न्यूनतम समर्थन मूल्य – श्रम लागत (मक्का)

राज्य	मक्का की परिचालन □□□□-₹/□□	मानव श्रम	उत्पा./□□	परिचालन □□□□/क्वि.	□2□□□□	न्यूनतम समर्थन मूल्य	% में श्रम □□□□
बिहार	29537.69	13083.88	3049	969	715.83	1310	44
□□□□□	35581.64	20229.7	1589	2239	902.95	1310	57
हरियाणा	□□. नहीं	□□. नहीं	□□. नहीं	□□. नहीं	□□. नहीं	1310	□□. नहीं
हिमाचल प्र.	21913.2	13552.45	2507	874	1328.64	1310	62
□□□□□	31273.6	17632.55	1766	1771	□□. नहीं	1310	56
मप्र	24518.82	11405.14	1790	1370	850.73	1310	47

□□□□	35225.18	15678.61	3651	965	□□. नहीं	1310	45
□□□.	58654.32	26928.19	2080	2820	□□. नहीं	1310	46
राजस्थान	33067.76	19184.89	1771	1867	1239.77	1310	58
उप्र	19648.12	11364.1	1791	1097	1241.31	1310	58
□. □□□□	□□. नहीं	□□. नहीं	4347	□□. नहीं	□□. नहीं	1310	□□. नहीं
तमिलनाडू	59864.15	29319.34	5360	1117	827.07	1310	49
कर्ना.	30495.37	13947.61	2921	1044	918.27	1310	46
आन्ध्र प्र.	41175.25	19262.74	4257	967	760.58	1310	47
□ □□□□	39245.63	23154.45	2039	1925	□□. नहीं	1310	59

कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य - बुरी अर्थनीति का जीवंत उदाहरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति, राजनीति और अर्थनीति को अच्छे से समझ लेना जरूरी है. वर्ष 1965 से चल रही देश की खाद्य नीति के □□□ □□□□ □□□ □□ कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती हैं. इस मूल्य निर्धारण का मकसद होता है देश में खाद्यान्न और कृषि उपजों की कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए किसानों को उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करना. हमें यह सिखाया जाता है कि इसका मतलब केवल सरकारी खरीद से होता है; जबकि सच यह है कि मंडी और खुले बाज़ार में भी किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए. यदि खुले बाज़ार या मंडी में किसी जिंस या उत्पाद का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा होता है, तो किसान को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी उपज ऊँचे दामों पर बेंचे. वास्तव में इस व्यवस्था में किसानों से उपज खरीदने वालों से व्यापार में नैतिकता की अपेक्षा भर की जाती रही; कीमतों का नियमन करने की भूमिका निभाते हुए सरकार ने यह कोशिश कभी नहीं की कि किसानों को खुले बाज़ार और मंडी में भी उचित कीमतें मिलें.

नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशान (एन□□□□ □/70□□□□/दिसंबर 2014) ने भारत में किसान परिवारों की स्थिति पर एक अध्ययन जारी किया. इसमें बताया गया कि केवल 32.2 प्रतिशत किसानों को धान के समर्थन मूल्य के बारे में और 39.2 प्रतिशत को ही गेहूं के समर्थन मूल्य के बारे में कोई जानकारी थी. उरद के बारे में तो 5.7 प्रतिशत को ही जानकारी थी. अध्ययन से यह पता चला कि जुलाई 2012 □□□□ 2013 □□□□ (दो छःमाही में) 1000 कृषक परिवारों में से गेहूं बेंचने वाले 368 किसान थे. इनमें से केवल 25 □□(6.8 प्रतिशत) ने ही सीधे सहकारी संस्था या सरकारी खरीद संस्था को गेहूं बेंचा. 50 प्रतिशत कृषकों ने स्थानीय व्यापारी को और 35 प्रतिशत ने मंडी में अपनी उपज बेंची.

1000 कृषक परिवारों में से 638 परिवारों ने धान बेंचा, पर सरकारी खरीद संस्था या सहकारी संस्था को बेंचने वाले केवल 67 कृषकों (6.4 प्रतिशत) □□अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय होता है, पर उसे मानता कोई नहीं, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं. अरहर बेंचने वाले 768 किसानों में से केवल 1 ने सरकारी खरीदी एजेंसी या सहकारी संस्था को दलहन बेंची.

□□□□ □□□□□ 22 □□23 जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, किन्तु खरीदती है केवल गेहूं और चावल ही. □□ □□ □□□□ □□□□□ राज्यों से. हमारी नीति अब अब बहुत भेदभावकारी हो चुकी है. वास्तव में पहले समर्थन मूल्य का सही निर्धारण होना चाहिए और फिर कृषि उपज के समग्र व्यापार की नीति का आधार ही न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए. निजी क्षेत्र और खुले बाज़ार को भी इसके समर्थन मूल्य के प्रति जवाबदेय बनाया जाना चाहिए.

अगला बिंदु यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मौजूदा प्रक्रिया और सोच विसंगतिपूर्ण है. अलग अलग राज्यों में कृषि उपज की लागत, उत्पादकता और मानव श्रम का अनुपात भिन्न-भिन्न है. इस भिन्नता का अभी कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है. वर्ष 2014-15 में गेहूं की परिचालन लागत बिहार में 1449 रूपए प्रति क्विंटल थी, जबकि पंजाब में 523 रूपए. इसी तरह मक्का की परिचालन लागत हिमाचल प्रदेश में 874 रूपए प्रति क्विंटल थी, □बकि गुजरात में 2239 रूपए प्रति क्विंटल. यह तो दिखाई दे ही रहा है कि उपज की परिचालन लागत में विभिन्नता है. लेकिन जब हम अलग-अलग राज्यों की उत्पादकता को आधार बना कर विश्लेषण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में समर्थन मूल्य के निर्धारण में परिवहन, उपज के भण्डारण, विभिन्न करों/शुल्कों, उत्पादन से पहले और बाद की प्रक्रियाओं में लगने वाले श्रम का मूल्यांकन शामिल नहीं किया गया है.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक मानक आंकलन (ए2□□□□) □□□ □□इस आंकलन में अलग-□□□ राज्यों में विभिन्न जिंसों के उत्पादन की लागत निकलता है. इसमें मानव श्रम, मशीन श्रम, पशु श्रम, बीजों, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, ब्याज और अन्य व्यय का मूल्यांकन करता है. आयोग के मुताबिक उत्पादन के लिए किये गए सभी तरह के नकद खर्चों के साथ इसमें पारिवारिक श्रम और ब्याज को भी शामिल किया गया है, अतः उसके द्वारा किया गया आंकलन वास्तविक व्यय को निश्चित रूप से दर्शाता है. □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□र्थन मूल्य तय करता है, जो किसानों को उनकी उपज का "लाभदायी प्रतिफल" प्रदान करता है. 10 मार्च 2017 को कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्य सभा में बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को गेहूं में 103.89 प्रतिशत, धान में 40.67 प्रतिशत, मक्का में 41.30 प्रतिशत, अरहर में 55.82 प्रतिशत और मक्का में 28.54 प्रतिशत का न्यूनतम लाभ होता ही है. यदि □□□ □□तो किसान संकट में क्यों है?

वास्तविकता जानने के लिए हमें कुछ जोड़ घटाना करना होगा. वर्ष 2014-15 के लिए आयोग ने माना था कि गेहूं का ए2ए□□□ (□□□ □□□ नकद खर्च और परिवार के श्रम को मिलाकर) ल□□□ 6879.25 रूपए होगी, जबकि बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, □□□□□, राजस्थान तक यह राशि परिचालन लागत से बहुत कम रही.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने बताया कि बिहार में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन परिचालन लागत 26816.98 रूपए है. वर्ष 2014-15 में बिहार में एक हेक्टेयर में 18.51 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ था, इस मान से बिहार में किसान को एक क्विंटल गेहूं के उत्पादन के लिए 1449 रूपए खर्च करना पड़े, जबकि उस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1450 रूपए. किसान को प्राप्ति हुई - एक रूपए की.

पश्चिम बंगाल में 39977 रूपए प्रति हेक्टेयर की लागत लगाकर किसान 28.36 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा था; एक क्विंटल के लिए □□□□1410 रूपए खर्च किये, न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1450 रूपए यानी प्राप्ति थी 40 रूपए.

पंजाब अब मशीन से खेती कर रहा है और खूब रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है. वहां एक हेक्टेयर में 528 रूपए प्रति क्विंटल के खर्चे से 44.91 क्विंटल गेहूं उपजाया गया. पंजाब की तात्कालिक तौर पर उत्पादकता ज्यादा हुई और वहीं से भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा भी; जिससे वहां के किसानों को एक हद तक लाभ हुआ. इसके उलट महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब रही. वहां एक क्विंटल गेहूं की लागत 2448 रूपए (33806 रूपए/हेक्टेयर पर 13.81 क्विंटल उपज) □□, जबकि समर्थन मूल्य □□ 1450 रूपए.

□□□ □रह मक्का का मामला भी है. गुजरात में 35581 रूपए प्रति हेक्टेयर के परिचालन व्यय से 15.89 क्विंटल मक्का का उत्पादन हुआ □□□ □□□ 2239 रूपए प्रति क्विंटल रही, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310 रूपए रहा. इसी तरह मध्यप्रदेश में मक्का की परिचालन लागत 1370 रूपए रही, प□ समर्थन मूल्य तय हुआ 1310 रूपए. महाराष्ट्र में मक्का की परिचालन लागत 2820 रूपए, राजस्थान में 1867 रूपए, ओड़ीसा में 1925 रूपए रही. कुल मिलकर इन राज्यों के के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहद घाटे का सौदा ही रहा. बहरहाल प□□□, हिमाचल प्रदेश, आँध्रप्रदेश जैसे कुछ राज्यों के लिए समर्थन मूल्य थोड़ा फायदे का सौदा रहा.

राज्यों की अनसुनी आवाजें

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खेती के हर मौसम (रबी और खरीफ) में राज्य सरकारों को एक प्रश्नपत्र भेजता है. जिसमें कृषि कर्म से सम्बंधित व्यापक जानकारियाँ संकलित की जाती हैं. इसी में आयोग राज्य सरकार से पूछता है कि उनके हिसाब से उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए? वर्ष 2017-18 के लिए गुजरात सरकार ने सुझाया था कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2150 रूपए होना चाहिए, बिहार ने 2193, □□□□ □□2040 रूपए तय करने का सुझाव दिया थ.

मध्यप्रदेश ने 1530 रूपए और बिहार ने 1600 रूपए रखने का सुझाव दिया था. आयोग ने इस वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रूपए तक किया. इसका आशय यह है कि मध्यप्रदेश और बिहार ने समर्थन मूल्य सबसे कम रखने का आग्रह किया था.

इसी तरह धान के लिए आँध्रप्रदेश ने 6062 रूपए, बिहार ने 4435 रूपए, □□□□ □□3700 रूपए, □□□□ □□3995 रूपए, महाराष्ट्र ने 4200 रूपए और मध्यप्रदेश ने 4000 रूपए रखने का सुझाव दिया था, पर आयोग ने तय किया 1550 रूपए. आयोग का निर्धारण किसी राज्य की जरूरत और अपेक्षाओं से भी मेल नहीं खाता है.

उरद के सन्दर्भ में बिहार ने 6000 रूपए, आँध्रप्रदेश ने 7961 रूपए, □□□□ □□6500 रूपए, महाराष्ट्र ने 8439 रूपए, कर्नाटक ने 6500 रूपए मूल्य तय करने का सुझाव दिया था. मध्यप्रदेश का सुझाव था कि उरद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5000 रूपए □□. आयोग ने तय किया 5200 रूपए प्रति क्विंटल.

यही बात मूं□ □□□□ □□□□ □□कृषि लागत और मूल्य आयोग ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5375 रूपए सुझाया, जबकि आँध्रप्रदेश ने 8976 रूपए, □□□□ □□5600 रूपए, □□□□ □□6189 रूपए और मध्यप्रदेश ने 7000 रूपए करने की वकालत की थी. कुल मिलकर आयोग ने राज्य सरकारों के सुझावों पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया.

ऐसे में आज जरूरी है कि संविधान के प्रावधान (कि कृषि राज्य सरकार का विषय है) के सन्दर्भ में केंद्र सरकार और इस तरह के आयोगों की जवाबदेहिता सुनिश्चित होना जरूरी है, ताकि किसान और कृषि विरोधी नीतियों को पलटा जा सके.

कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, ए2एफएल और राज्य सरकारों द्वारा सुजाये गए समर्थन मूल्यों में अंतर

(कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी और खरीफ मौसम की रिपोर्ट - 2017-18)

न्यूनतम समर्थन मूल्य	□□□		□□□		□□□		□□□		□□		मक्का		□□□□□□	
	1625		1550		3800		5200		5375		1425		2850	
राज्य	□2□□□□/क्विं	राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य	□2□□□□/क्विं	राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य	□2□□□□/क्विं	राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य	□2□□□□/क्विं	00 राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य	□2□□□□/क्विं	75 राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य	□2□□□□/क्विं	राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य	□2□□□□/क्विं	50 राज्यों का सुझाया न्यूनतम समर्थन मूल्य
□□□□	□□.नहीं	1600	1327	2500		3700	4327	6000	4320	5500		1500	□□. नहीं	
आन्ध्र प्र.	□□.नहीं	□□.नहीं	1062	2799	2411	6062	1762	7961	3065	8976	800	2449	□□. नहीं	
बिहार	921	2193	1053	2355	2032	4435	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	813	2328	□□. नहीं	
□□□□	1011	2150	1061	2200		3900	□□.नहीं	6500	□□.नहीं	5600	1533	2200	□□. नहीं	
हरियाणा	738	□□.नहीं	1049	□□.नहीं	2114	□□. नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□. नहीं	
हिमाचल प्र.	1344	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं		□□. नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	1449	□□.नहीं	□□. नहीं	
□□□□	957	□□.नहीं	1359	1883		□□. नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	6189	□□.नहीं	1880	□□. नहीं	
मध्य प्र.	765	1530	1027	2700	2056	4000 & 6500	2276	5000	□□.नहीं	7000	1001	2200	1727	4000
□□□□	627	2040	672	2000		3995	□□.नहीं	6200	□□.नहीं	6250	919	2000	□□.नहीं	
महाराष्ट्र	1577	□□.नहीं	1569	3251	2672	4200	5355	8439	5955	6008	□□.नहीं	1920	2753	
राजस्थान	804	1900	□□. नहीं	□□. नहीं	1847	□□. नहीं	4889	□□.नहीं	4407	□□.नहीं	1610	□□.नहीं	2353	
उप्र	803	2645	1073	□□. नहीं	2532	□□. नहीं	3927	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	1278	□□.नहीं	□□.नहीं	
कर्नाटक	□□.नहीं	□□.नहीं	1062	2100	2808	□□. नहीं	□□.नहीं	6500	4589	7000	1009	1600	□□.नहीं	4700
□. □□□□	1862	2400	1409	1720	□□.नहीं	□□. नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं	□□.नहीं		□□.नहीं	□□.नहीं	
तमिलनाडू	□□.नहीं	□□.नहीं	1146	2300	□□.नहीं	□□. नहीं	4140	6400	3910	8400	1107	1650	□□.नहीं	
□□□□	**797**		**1117**		**2241**		**3265**		**4286**		**1044**	□□.नहीं	**2121**	

कुछ अन्य पहलू - कृषि यंत्रीकरण पर कृषि मंत्रालय का आधिकारिक पक्ष

कृषि यंत्रीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण घटको में से एक है, जो समय पर कृषि कार्यों के माध्यम से उत्पादन वृद्धि में मदद □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ मंहगे आदानों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के माध्यम से विभिन्न कृषि कार्यो की लागत कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि और विभिन्न कृषि कार्यो से जुड़ी दिक्कतों को कम करने मे मदद करता हैं।

पिछले कुछ वर्षों में शिफ्ट मैकेनिकल और बिजली स्रोतों के उपयोग की दिशा में रहा है, जबकि 1960-61 में लगभग 92.30% कृषि कार्यो मे उपयोग होने वाली शक्ति सजीव (प्राणी + □□□□□) स्रोतों से आ रही थी। 2014-15 में सजीव शक्ति स्रोतों का योगदान घटकर लगभग 9.46% रह गया है और यांत्रिक और विद्युत स्रोतों की शक्ति का योगदान 1960-61 □□□□ 7.70% □□, □□□□ 2014-15 में लगभग 90.54% □□ □□□ □□

कृषि यंत्रीकरण का स्तर खेती योग्य इकाई क्षेत्र मे उपलब्ध यांत्रिक शक्ति के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो भारत में पिछले 43 वर्षो के दौरान बहुत धीमी गति अर्थात 1975-76 □□□□ 0.48 किलोवाट प्रति हेक्टेयर था, वर्ष 2013-14 में बढ़कर 1.84 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गया है। हालांकि, 2014-15 □□2016-17 □□□□□□ □□ □□□□ 2.02 किलोवाट / हेक्टेयर हो गया है जो मुख्यरूप से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के केंद्रित प्रयासों के कारण ।

इस वर्ष अनाज मे मामले मे रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। हालांकि, अनाज की मांग बढ़ रही है और अनुमान लगाया गया है कि 2025 □□ हमें 300 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन करना होगा। 2011 की जनगणना के □□□□□, 263 मिलियन लोग (54.6%) कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं □□ 2020 □□ □□□□ 190 □□□□ (33%) रह जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

यह आंकड़े दर्शाते है कि कृषि कार्यो के महत्वपूर्ण सीजन जैसे कि बुवाई और कटाई हेतु श्रमिकों की कमी होगी और इसका उत्पादन पर प्रतिकूल तिकूल असर होगा। इस प्रकार, विभिन्न कृषि कार्यो के लिए ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को कृषि मशीनीकरण के माध्यम से पूरा किया जाना होगा और इसके लिए कृषि यंत्रीकरण सेक्टर को तेजी से बढ़ने की जरूरत है।

औसत जोत आकार में निरंतर संकोचन के कारण, अधिक खेत प्रतिकूल श्रेणी में आ जाएंगे जिससे कृषि मशीनरी की व्यक्तिगत स्वामित्व को धीरे-धीरे और अधिक अनौपचारिक बना देगा। इसलिए छोटे खेतों के लिए पर्याप्त कृषि शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।

कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र की अन्य चुनौतियां ये हैं कि कैसे कौशल बाधाओं को दूर किया जाएँ ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी को पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त हो। भविष्य मे जीवाश्म ईंधन की कम उपलब्धता और उस पर अधिक लागत के कारण ऊर्जा की कमी और पर्यावरणीय गिरावट की उपेक्षा किए बिना कृषि यंत्रीकरण का सतत विकास सुनिश्चित करने की संभावनाओ का संपर्क स्थापित करना आवश्यक होगा।

वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 मे कृषि यंत्रीकरण पर दो छोटी स्किमे चलाई जा रही थी जिसके लिए आबंटन क्रमशः मात्र रुपये 24.10 करोड़ □□□38.49 करोड़ मात्र था। परन्तु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि यंत्रीकरण के महत्व को ध्यान में रखकर देश मे कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 से कृषि यंत्रीकरण उपमिशन प्रारम्भ किया गया है, जिसका उदेश्य छोटे और सीमान्त किसानो तथा उन क्षेत्रो मे जहां कृषि यंत्रो की उपलब्धता कम है, वहाँ कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन (एस एम□ □□ □□)□के अतिरिक्त, □□ □□ □□ □□,□आर के वि वाई, आयल पाम मिशन, बागवानी मिशन इत्यादि स्कीमो में भी मशीनीकरण हेतु राज्यों को सहायता प्रदान की □□□ □□।

कृषि यंत्रीकरण उपमिशन मे न केवल प्रशिक्षण, परीक्षण, कृषि मशीनरी के प्रदर्शन और खरीद सब्सिडी जैसे पारंपरिक घटक शामिल है, बल्कि इसमें कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंको और उच्च उत्पादक उपकरण केंद्र की स्थापना और छोटे और सीमांत किसानों के बीच उत्पादकता बढ़ाने और उपयुक्त खेत उपकरणों का स्वामित्व का निर्माण करने के उद्देश से चयनित गांवों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेवाओं के लिए फार्म मशीनरी बैंकों और हाई-टेक्टेक हब की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता दी जाती है । उन्होंने बताया कि विभाग के इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण के लिए राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों में 3088 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई हैं। चालू वित्त वर्ष 2017-18 के □□□□, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के लिए आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना बढ़ा दिया गया है जो 577 करोड़ रूपए है। आबंटित राशि का □□□□□ □□□□, यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश, □□□□, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में अच्छी प्रगति हासिल की है।